अति महत्वपूर्ण/शीघ्र

संख्या–1845 /नौ–9–2021–91ज/21

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2021**

विषय– प्रदेश के नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–एम0एस0–07(1)/नौ–9–2021–05ज/20, दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के जिला मुख्यालयों की नगर पालिका परिषदों में मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप स्थलों, तहसील/कचेहरी/ब्लाक/रजिस्ट्रार कार्यालयों, मुख्य बाजारों इत्यादि) में से कम से कम एक मुख्य स्थान पर निकाय निधि/स्वयं के स्रोत से आवश्यक उपकरण स्थापित कराते हुए मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार आमजन तक तीव्र व सुलभ सूचना एवं संचार की पहुंच विकसित करने के उद्देश्य से शहरी विकास की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप स्थलों/तहसील/कचेहरी/ब्लाक/रजिस्ट्रार कार्यालयों/मुख्य बाजारों/अस्पतालों इत्यादि) पर मुफ्त वाई–फाई (Wi-Fi) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार के "मिशन युवा" के अन्तर्गत मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण घटक है।

3. तद्क्रम में शासन द्वारा नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप स्थलों/तहसील/कचेहरी/ब्लाक/रजिस्ट्रार कार्यालयों/मुख्य बाजारों/अस्पतालों/पर्यटक स्थलों इत्यादि) में जिला मुख्यालयों की नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों/अमृत शहरों में कम से कम 02 मुख्य सार्वजनिक स्थानों एवं जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को छोड़कर अन्य नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कम से कम 01 मुख्य सार्वजनिक स्थान का चयन कर निकाय निधि/स्वयं के स्रोत से आवश्यक उपकरण स्थापित कराते हुए मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–एम0एस0–07(1)/नौ–9–2021–05ज/20, दिनांक 13.07.2021 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा की स्थापना हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही माह सितम्बर, 2021 के अन्तिम सप्ताह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए। माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में उक्त सुविधा का लोकार्पण कराया जाएगा। तद्नुसार निकाय निधि/स्वयं के स्रोत से उपकरणों की स्थापना एवं समस्त आवश्यक तैयारियां समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक कराते हुए उपर्युक्त नगरीय निकायों में किन–किन स्थानों पर उपकरण स्थापित कर मुफ्त वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा इस हेतु कितनी धनराशि का व्यय किया गया है, की निकायवार संकलित सूचना एवं प्रगति आख्या शासन को **एक सप्ताह में** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा)।

आज्ञा से,

(अमित कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

A.K.@ Smart -go-20